कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी / रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, मऊ।

पत्रांकः 205 / अधि0 / स0सु0 / 2020, दिनांक– 18.06.2020

अधिसूचना

चूँकि केन्द्रीय मोटरवाहन अधिनियम 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा–112 की उपधारा (2) में प्राविधानित है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा जनता की सुरक्षा, सुविधा या किसी सड़क अथवा पुल के खराब होने के कारण जनहित में मोटरयानों / विभिन्न श्रेणी के मोटरयानों की उक्त धारा की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को उक्त कारणों से संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित किया जा सकता है;

और जहां उक्त अधिनियम की धारा–112 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुसरण में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली–1998 के नियम 178 द्वारा जनपद के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी / सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, को नगरीय निकायों अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की अधिकरिता क्षेत्रों के भीतर यान की श्रेणी या श्रेणियों की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या–1377 दिनांक–06–04–2018 द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को जनहित में उपर्युक्त प्राविधानों के दृष्टिगत संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित करने का अधिकार प्रदत्त किया गया है;

अतः मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा–112 के साथ पठित उत्तर प्रदेश नियमावली, 1998 के नियम–178 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मऊ जनपद होकर निकलने / चलने वाले नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों के अंश पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की अधिकतम गति सीमा निम्नलिखित तालिकानुसार निर्धारित की जाती है–

क्र0 सं0	मार्ग का नाम एवं संख्या	स्थान (कहाँ से कहाँ तक) जहां गति निबंधित रहेगी	यान की श्रेणी अनुसार निबंधित कर निर्धारित की गयी गति सीमा			
			टू व्हीलर / थ्री व्हीलर	चालक सहित 7 सीटों तक वाले यान	चालक सहित 8 से 12 सीटों तक वाले यान	समस्त मालयान एवं स्तंभ 4.5 एवं 6 को छोड़ कर अन्य समस्त यात्री यान
1	मऊ–रतनपुरा–बलिया	मऊ से रतनपुरा	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
2	मऊ–आजमगढ़	मऊ से मुहम्मदाबाद (चलिसवां पेट्रोल पम्प तक)	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
3	मऊ–रानीपुर–चिरैयाकोट	मऊ से चिरैयाकोट	30 किमी0 प्रति घण्टा	40 किमी0 प्रति घण्टा	40 किमी0 प्रति घण्टा	30 किमी0 प्रति घण्टा
4	मऊ–सलाहाबाद–चिरैयाकोट	मऊ से चिरैयाकोट	30 किमी0 प्रति घण्टा	40 किमी0 प्रति घण्टा	40 किमी0 प्रति घण्टा	30 किमी0 प्रति घण्टा
5	मुहम्मदाबाद–चिरैयाकोट	मुहम्मदाबाद से चिरैयाकोट	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
6	मऊ–घोसी–दोहरीघाट	मऊ से दोहरीघाट	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
7	राष्ट्रीय राजमार्ग मऊ–गाजीपुर	मऊ से बढ़ुआ गोदाम	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
8	बढ़ुआ गोदाम–सरसेना–चिरैयाकोट	मऊ से चिरैयाकोट	30 किमी0 प्रति घण्टा	40 किमी0 प्रति घण्टा	40 किमी0 प्रति घण्टा	30 किमी0 प्रति घण्टा
9	मुहम्मदाबाद–नदवा सराय–घोसी	मुहम्मदाबाद से घोसी	30 किमी0 प्रति घण्टा	40 किमी0 प्रति घण्टा	40 किमी0 प्रति घण्टा	30 किमी0 प्रति घण्टा
10	मऊ–बरलाई–पूराघाट–	मऊ से जीयनपुर	30 किमी0	40 किमी0	40 किमी0	30 किमी0

	कोइरियापार–जीयनपुर		प्रति घण्टा	प्रति घण्टा	प्रति घण्टा	प्रति घण्टा
11	घोसी–मधुबन	घोसी से मधुबन	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
12	दोहरीघाट–सूरजपुर–मधुबन	दोहरीघाट–मधुबन	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
13	मऊ–इन्दारा–मझवारा–सोनाडीह	मऊ से फतेहपुर मण्डाव	40 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा	40 किमी0 प्रति घण्टा
14	मऊ–बहादुरगंज–कासिमाबाद	मऊ से बहादुरगंज	40 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा	40 किमी0 प्रति घण्टा
15	अमिला–बोझी–जीयनपुर	अमिला से बोझी	20 किमी0 प्रति घण्टा	40 किमी0 प्रति घण्टा	40 किमी0 प्रति घण्टा	30 किमी0 प्रति घण्टा
16	कोपागंज–भातकोल–मुहम्मदाबाद	कोपागंज से मुहम्मदाबाद	20 किमी0 प्रति घण्टा	40 किमी0 प्रति घण्टा	40 किमी0 प्रति घण्टा	30 किमी0 प्रति घण्टा

गति सम्बन्धी उपरोक्त प्रतिबन्ध निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगा–

(i) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–116 में विनिर्दिष्ट साइन बोर्ड प्रतिबंधित स्थान के दोनों छोर–प्रारम्भिक एवं अन्तिम बिन्दु पर तथा मध्य में भी जगह–जगह पर आई0आर0सी0 कोड के मानक अनुसार संबंधित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालकों को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सके तथा वे रात्रि में भी चमके इसके लिये रेट्रो–रिफ्लेक्टिव टेप का प्रयोग किया जायेगा।

(ii) उक्त प्रतिबंध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 में विनिर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नहीं होगा–

अ) अग्निशमन वाहन।

ब) एम्बुलेंस।

स) पुलिस वाहन।

द) कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्ध सैन्य बल के लिये प्रयुक्त होने वाले वाहन।

य) प्राकृतिक आपदा के प्रबन्धन के लिए प्रयुक्त वाहन।

(ii) उपरोक्त तालिका के कॉलम–3 में उल्लिखित स्थानों को छोड़कर जनपद के सभी मार्गों के अन्य क्षेत्रों (नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर) में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा–112 की उपधारा (1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या 1377, दिनांक–06–04–2018, समय–समय पर यथा संशोधित, द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा यथावत लागू रहेगी।

आज्ञा से,

(अवधेश कुमार),
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी/
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी,
जनपद–मऊ।

पृ0सं0– स0सु0/2020, समदिनांकित–

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– परिवहन आयुक्त, उ0प्र0।

2– अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात), यातायात निदेशालय, उ0प्र0।

3– जिलाधिकारी, मऊ।

4– पुलिस अधीक्षक, मऊ।

5– निदेशक, छपाई एवं मुद्रण सामग्री, राजकीय प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ, को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अधिसूचना को राज्य सरकार के प्रकाशित होने वाले सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

6– अपर परिवहन आयुक्त (स0सु0), उ0प्र0 लखनऊ।

7– उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र), वाराणसी।

8– सम्भागीय परिवहन अधिकारी, आजमगढ़।

9– अधिशाषी अभियन्ता, प्रान्तीय/निर्माण खण्ड लोक निमार्ण विभाग, मऊ।

10– राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, गोरखपुर।

31/12/2020

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी/
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी,
जनपद–मऊ।